राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

पश्चिम ब्लॉक, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर

फोन नं. 0141–2740930, 2740440 फैक्सः– 0141–2740930, 2740440

Email : rsldbpnd@gmail.com Website : www.rsldb.nic.in

क्रमांकःफा.33 / आ.वि. / ईडीईजी / 2020–21 / 9611-95 दिनांक : 20/08/2020

सचिव,
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
———————— ।

विषयः– वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना–**"राष्ट्रीय पशुधन मिशन"**– ईडीईजी घटक के कार्यान्वयन का प्रशासनिक अनुमोदन।

प्रसंगः– नाबार्ड का पत्र क्रमांक संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त विभाग जीएसएस / 311 / एनएलएम–1 / 2020–21 दिनांक 13.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नाबार्ड पत्रांक राबैं.पुनर्वित्त विभाग जीएसएस / 311 / एनएलएम–1 / 2020–21 दिनांक 13.08.2020 (परिपत्र संख्या 221 / पुनर्वित्त विभाग–75 / 2020) की प्रति संलग्न कर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (ईडीईजी) अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों में पोल्ट्री उद्यम कैपिटल फंड (पीवीसीएफ), छोटे रोमन्तक (जैसे भेड़ / बकरी पालन) और खरगोशों का समन्वित विकास (आईडीएसआरआर), सूअर विकास (पीडी), भैंस के नर बछडों का संरक्षण (एसएमबीसी), प्रभावी पशु अपशिष्ट प्रबंधन तथा चारे और पशु आहार के लिए भंडारण सुविधा का निर्माण हेतु योजना जारी रखी गई है। इस योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजनानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जितेन्द्र प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अध्यक्ष / प्रशासक, प्राथमिक बैंक ....
2. उप महाप्रबन्धक लेखा एवं वित्त, को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नाबार्ड से अनुदान की राशि प्राप्त होने की तिथि को ही इसे प्रा.बैंक को पासऑन किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. उप महाप्रबन्धक, प्रशा एवं कार्मिक / वसूली / निरीक्षण एवं सुपरविजन बैंक
4. वरिष्ठ प्रबन्धक कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रा.रा.स.भू.वि.बैंक लि., क्षेत्रीय कार्यालय, ———————।
6. प्रबन्ध निदेशक, प्रकोष्ठ, बैंक।

प्रबन्ध निदेशक

D/My Document-1/Prasant Choudhary/Letter EDEG & NLM 2020

ADJ RR @ Tarun Bhalo

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

पश्चिम ब्लॉक, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन नं. 0141-2740930, 2740440 फैक्सः- 0141-2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@gmail.com Website : www.rsldb.nic.in

वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना-"राष्ट्रीय पशुधन मिशन"- ईडीईज़ी घटक के कियान्वयन के मुख्य बिन्दु

1. राजस्थान राज्य के लिए योजनान्तर्गत 14937000/- रू. का बजटीय प्रावधान (वर्गवार General/Others 10260000/- रू., Scheduled Tribes 1660000/- रू., Scheduled Caste 3017000/- रू.) रखा गया है, जिसका उपभोग वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक एवं अन्य संस्थायें, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त हेतु पात्र है, द्वारा किया जावेगा।

2. सब्सिडी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध रहेगी, अतः राज्य हेतु निर्धारित बजट 14937000/- रू. का पूर्ण उपभोग होने के बाद अनुदान दावे Portal पर अपलोड नहीं हो सकेंगे।

3. सामान्य वर्ग के लिये केपिटल सब्सिडी प्रोजेक्ट कोस्ट की 25% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रोजेक्ट कोस्ट की 33.33 % रहेगी।

4. प्रोजेक्ट कोस्ट की न्यूनतम 10 % मार्जिन मनी लाभार्थी की होनी आवश्यक है।

5. परियोजना पूर्ण करने की समय-सीमा परियोजना में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋण की पहली किश्त के वितरण तिथि के बाद अधिकतम 12 महिने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी, लाभार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त पाए जाने पर बैंक इस अधिकतम अवधि को 3 महिने तक बढ़ा सकता है।

6. योजनान्तर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु सदस्य का आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है।

7. सब्सिडी प्राप्त होने पर प्राथमिक बैंक द्वारा इसे सब्सिडी रिज़र्व फण्ड खातें में रखी जावेगी, जिसका ऋणीवार विवरण बैंक स्तर पर संधारित किया जावेगा।

8. सब्सिडी की राशि का समायोजन, 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद ही ऋणी की अंतिम कुछ किश्तों पेटे किया जावेगा। इस लॉक-इन अवधि में खाता एन.पी.ए. होने पर सब्सिडी राशि वापिस नाबार्ड को भिजवाई जावेगी।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

पश्चिम ब्लॉक, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन नं. 0141-2740930, 2740440 फैक्सः- 0141-2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@gmail.com Website : www.rsldb.nic.in

प्राथमिक बैंक द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

1. प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में Excell Sheet में Soft Copy राज्य बैंक के E-Mail rsldbpnd@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे ताकि राज्य बैंक द्वारा नाबार्ड के Ensure Portal पर दावें अपलोड किये जाकर सब्सिडी की पात्र राशि को ब्लॉक किया जा सके।

2. प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के 30 दिवस के भीतर प्रथम किश्त जारी की जावे।

3. प्राथमिक बैंक द्वारा प्रथम किश्त वितरण की सूचना ऋण वितरण के 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में Excell Sheet में Soft Copy राज्य बैंक के E-Mail rsldbpnd@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे ताकि राज्य बैंक द्वारा नाबार्ड के Ensure Portal पर ऋण वितरण सम्बन्धी सूचना अपलोड की जा सके।

4. ऋण की प्रथम किश्त वितरण के 30 दिवस के भीतर यदि सूचना पोर्टल पर अपडेट नहीं की जाती है तो पोर्टल द्वारा आवेदन को डिलीट कर दिया जावेगा, अतः प्राथमिक बैंक उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रथम किश्त वितरण की सूचना ऋण वितरण के 7 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. प्राथमिक बैंक द्वारा सब्सिडी की राशि प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर निम्नानुसार एक उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बैंक को प्रस्तुत किया जावेगा –

   "It is certified that subsidy amount of .... loanee has been received from NABARD and same has been credited to subsidy reserve account (SRFA) of beneficiary. Details of beneficiaries is as under-"

   योजनानुसार, यह प्रमाण पत्र राज्य बैंक द्वारा Portal पर अपलोड किया जावेगा।